26/09/25 कार्यवाही प्रारम्भ हुयी। वकील वादी अनुपस्थित,

वकील वादी/वादिगण को बार-बार सम्मन/नोटिस भेजे जाने के बावजूद सम्मन तामील नहीं हो सकी आवश्यक तामीली नहीं। अतः वकील वादी/वादिगण की हैसियत से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील वादी/वादिगण का वाद आज दायर होकर अदम पैरवी में खारिज किया जाकर प्रशासनिक रूप से नस्तीकरण का निर्णय पृथक से दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/09/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर मेट्रो प्रथम